(a) the decision of Bay of Bengal Japan Conference regarding Deferred Payment system ; and

(b) the steps taken by the Government to ensure fair practices ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR) : (a) and (b). The Bay of Bengal/Japan/Bay of Bengal Conference covering the trade from East Coast of India to South East Asia and Japan has abolished the system of deferred payment from 1.7.1971 on account of continuous preasure exerted by the Trade and Government. The Conference has, subsequently announced introduction of dual rate system (Contract and non-contract rates) effective from 1.9.1971, the net Tariff rates being treated as contract rates and the non-contract rates being 10% above that level. The Shippers who enter into contract will be entitled to the benefit of lower rates. The Conference took this step to safeguard their interests as movement of cargo was at a low level and in this manner they could have some hold on Shippers. Most Shippers have willingly signed contracts with the Shipping Lines without protest, and it has been felt that there is justification in the Conference making this arrangement.

दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास की समस्या

1965. डा० संकटा प्रसाद : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों की आवास समस्या अब तक हल नहीं कर पाई है;

(ख) सरकार किस वर्ष की नियुक्ति तक के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को किन-किन प्रकार के मकान दे सकी है;

(ग) सरकार मकान किस आधार पर एलाट करती है; और

(घ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आइ. के. गुजराल) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल में पात्र कार्यालयों में कार्य कर रहे 41.82 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वास की व्यवस्था करना संभव हो पाया है।

(ख) विभिन्न टाइपों के वास की पात्रता के वेतन-क्रम तथा 22-11-1971 तक जिस प्राथमिकता की तारीख तक मकान दिए जा चुके हैं, उनका एक विवरण संलग्न है।

(ग) दिल्ली / नई दिल्ली के पात्र कार्यालयों में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को सामान्य पूल वास से आवंटन विभिन्न टाइपों के लिए उनकी पात्रता के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक टाइप के लिए उस टाइप के पात्र अधिकारियों की प्राथमिकता की तारीख के आधार पर प्रति मास अलग अलग प्रतीक्षा सूची तैयार की जाती है और प्रतीक्षा सूची में प्रत्येक अधिकारी की स्थिति को ध्यान में रखकर आवंटन किया जाता है। टाइप IV और उससे निचले टाइपों में प्राथमिकता की तारीख, अधिकारी की केन्द्रीय सरकार अथवा, राज्य सरकार के अधीन निरन्तर सेवा की तारीख से जिसमें विदेश-सेवा की अवधि भी शामिल है, शुमार की जाती है। उनके मामलों में केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार में की गई समस्त सेवा को ध्यान में रखा जाता है। उन अधिकारियों के मामलों में, जो टाइप V और उससे ऊपर के टाइपों के पात्र हैं, उनकी प्राथमिकता की तारीख उस तारीख से शुमार की जाती है। जब से एक अधिकारी, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा विदेश-सेवा आदि में एक पद पर, टाइप विशेष या उससे ऊपर के टाइप के लिए उचित परिलब्धियां निरंतर प्राप्त कर रहा हो।

(घ) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली । नई दिल्ली में क्वार्टरों के निर्माण के बारे में, स्थिति निम्न प्रकार है :—

टाइप	स्वीकृत एककों की संख्या	पूरे हुए एककों की संख्या	निर्माणाधीन एककों की संख्या	विचाराधीन प्रस्ताव
I	304	192	112	1112
II	1732	864	868	—
III	1716	440	1276	1932
IV	1180	256	924	178
VII	6	—	—	—
जोड़	4938	1752	3180	3222

दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल बास में कुर्सीक्षत्र पात्रता तथा 22-11-1971 तक जिस प्राथमिकता की तिथि तक बास दिए गए हैं, उन का विवरण ।

टाइप	कुर्सी क्षेत्र वर्ग फुट में	पात्रता	तय की गई तिथि
1	2	3	4
I	400	175/-रुपये से कम	2-2-1950
II	540	175/-रुपये से 349/ तक	1-4-1943
III	710	350/-रुपये से 499/-तक	17-11-1942
IV	900	500/-रुपये से 799/-तक	14-7-1942
V	1,500*	800/-रुपये से 1299/-तक	जून 1952
VI	2,100*	1300/-रुपये से 2249/-तक	20-12-1961
VII	@	2250/-रुपये तथा इससे अधिक	29-11-1960
VIII	**	भारत सरकार के सचिवों/अपर सचिव	30-9-1962

* इसके अतिरिक्त 240 नौकरों के क्वार्टर और 225 गैराज के लिये ।

@ प्रत्येक मामले में निर्णय किया जायेगा ।

** इस टाइप में आगे कोई निर्माण नहीं होगा ।

दूध के टोकनों के लिए दिल्ली दुग्ध योजना के अधीन आवेदन पत्र

1966. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दूध के टोकन के लिये कितने आवेदन-पत्र दिल्ली दुग्ध योजना के विचाराधीन हैं; और

(ख) दूध टोकन शीघ्र जारी करने के बारे में दिल्ली दुग्ध योजना का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. शेर सिंह): (क) दिल्ली दुग्ध योजना के पास दिनांक 19-11-71 को दूध के टोकनों के लिये 41,794 अभ्यावेदन बाकी थे ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना के वर्तमान केन्द्रीय डेरी संयंत्र की दुग्ध संचालन क्षमता प्रति दिन 375,000 लिटर तक बढ़ाई जा रही है, जोकि इस समय प्रतिदिन 300,000 लिटर है । इसके लगभग 6 महीने में पूर्ण होने की संभावना है । क्षमता के बढ़ने पर लंबित अभ्यावेदनों पर निर्णय किया जायेगा । सरकार 'आपरेशन फ्लड' के अन्तर्गत दिल्ली में एक नये